
 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी - II) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज Indian Audit and Accounts Department Office of the Accountant General (A&amp;E-II) Uttar Pradesh, Prayagraj</p>	 <p>भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी - II) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज</p>
---	--	--

पत्रांक : ले0ह0-II/नि0स0(प्र0)/गुप-II/परिपत्र/  
सेवामें, अति आवश्यक

दिनांक : .11.2024

1. समस्त अधिशासी अभियन्ता/संबन्धित खंड
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/संबन्धित खंड

विषय : मासिक लेखा प्रेषण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में यह अवगत करना है कि खण्डों में मासिक लेखे समय से न प्राप्त होने के कारण लेखा संकलन करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा राज्य लेखे में शामिल करने में विलम्ब होता है। यद्यपि ससमय लेखा प्रेषित करने हेतु समय समय पर पत्र प्रेषित किया जाता रहा है, किन्तु खण्डों द्वारा मासिक लेखा प्रेषित करने में अत्यन्त विलम्ब किया जाता है, जिसे महालेखाकार महोदय ने अत्यन्त गंभीरता से लिया है तथा ससमय लेखा संकलन पूर्ण किए जाने हेतु, निर्देशित किया है कि खण्डों से मासिक लेखा प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह के 07 तारीख तक इस कार्यालय में अवश्य प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

ससमय लेखा प्रेषण हेतु यदि आवश्यकता हो तो संदेशवाहक के माध्यम से भी कार्यालय को लेखा प्रेषित किया जा सकता है। उक्त प्रयोजन हेतु दिनांक 07 दिसम्बर 2024 (शनिवार) को भी कार्यालय गेट पर केयर टेकर कक्ष में इस कार्यालय के श्री रास विहारी प्रसाद, व.ले., एवं श्री प्रमोद कुमार, व.ले., लेखे प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेंगे, जिनको माह नवम्बर 2024 का लेखा दिया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने खण्ड का मासिक लेखा नियमानुसार तैयार करा कर प्रत्येक माह के 07 तारीख के पूर्व प्रेषित करना सुनिश्चित करें। विलम्ब से लेखा प्राप्त होने के कारण राज्य लेखा से विलग होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी खण्ड की होगी।

- भवदीय

Digitally signed by

Gyaneshwar Nath Tripathi

वरिष्ठ लेखाधिकारी / नि0स0(प्र0)

पत्रांक : ले0ह0-II/नि0स0(प्र0)/गुप-II/परिपत्र/  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : .11.2024

1. संबन्धित खण्डीय लेखाकार / खण्डीय लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्परता से करना सुनिश्चित करें।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग 30प्र0 लखनऊ, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रयोजन हेतु अपने अधिनास्थों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी / नि0स0(प्र0)